



111

प्रकरण क्रमांक २०३

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

R- 3518- ११३

श्रीमती अंतिमा पति स्व. हरिनारायण शर्मा,
उम्र ३० वर्ष, धंधा - गृहकार्य,
निवासी - ग्राम मोरोद, तहसील व जिला इन्दौर

— प्रार्थी

विरुद्ध

- 1- मध्यप्रदेश शासन तर्फे तहसीलदार, इन्दौर
- 2- दिनेशकुमार पिता जुगलकिशोर सोनी,
निवासी - 634, स्नेह नगर, इन्दौर

— प्रतिप्रार्थीगण

वाद : भूमि के पट्टे निरस्ती बाबद।

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूरास्व संहिता

श्री आकाश त्रिपाठी, आय.ए.एस. कलेक्टर, जिला इन्दौर
द्वारा प्रकरण क्रमांक 21अ-74/2012-13 में पारित आदेश दिनांक
06.07.2013 जिसकी जानकारी अनावेदक/प्रार्थी को दिनांक 01.08.13
को प्राप्त हुई, से असंतुष्ट एवं दुखित होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण
याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर, नियम समयावधि में (प्रमाणित प्रति
को प्राप्त करने में लगा समय मुजरा देते) सादर प्रस्तुत करती है -

उत्तीर्ण/सूलन

R-8518/11/3 - २५६८

20-6-18

29

जावेद क अधिकारी श्री कपिल नाथ
मुख्यमंत्री उपरोक्त अनुपायी। जावेद क पता
को तीन बार चुकारलगाई गई, परन्तु
जावेद की ओर से कोई उपायी नहीं
हुआ। उक्त जावेद क पता को अनुपायी
से अरमान प्रेषणी में इनहिने किए जाते
हैं।

20-6-18

6/6/18
20

अधिकारी

[क. प. उ.]